भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2323

16 माच, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोनिल का प्रमाणीकरण

2323. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल जैसी किसी पारंपरिक दवाई हेतु कोई औपचारिक प्रमाणीकरण मांगा है या समीक्षा करवाई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बात को ध्यान म रखते हुए कि मंत्री महोदय ने फरवरी, 2020 को कोरोनिल को बाजार म लाने वाले कायक्रम म स्वयं भाग लिया था, क्या मंत्रालय कोरोनिल की गोली के उत्पादकों के दावों का समथन करता है कि यह कोविड-19 से लड़ने म सहायक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी पारंपरिक दवाई और उसको बढ़ावा देने वाले उत्पादकों के विरूद्ध क्या कारवाई की जाएगी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ऐसे प्रमाणीकरण का दावा करते ह?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): सरकार ने कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक औषधि हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई औपचारिक प्रमाणन या समीक्षा की मांग नहीं की है।

(ख): *कोरोनिल* के विनिमाताओं (मैसेस पतंजलि अनुसंधान फाउण्डेशन ट्रस्ट) ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के माध्यम से कोविड-19 संबंधी सभी दावों की समीक्षा के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा नियुक्त अंतर्विषयक तकनीकी समीक्षा समिति (आईटीआरसी) को आवेदन किया है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कोरोनिल के विनिमाताओं का अनुरोध प्रस्तुत किया है कि उनके लाइसस को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के बजाय कोविड-19 के लिए औषधि के रूप म *कोरोनिल* टेबलेट का उपयोग करने हेतु अद्यतन किया जाए। आईटीआरसी द्वारा कोरोनिल के अध्ययनों की समीक्षा की गई और दो मुख्य टिप्पणियां की गई थीं अथात (1) एक समूह म मानक देखभाल के बिना केवल प्लेसबो ही दिया गया और (2) समूह-वार विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया। तदनुसार समिति ने मूल्यांकन किया और यह पाया कि

कोरोनिल म तुलसी, अश्वगंधा जैसे मूल अवयवों को कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल म शामिल किया गया है और पतंजलि को प्रस्तुति म भी तकसंगत और अनुमान के आधार पर हो, यह सुझाव दिया गया था कि इसका उपयोग कोविड म सहायक उपाय के रूप म किया जा सकता है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी सूचित किया गया है कि *कोरोनिल* टेबलेट का उपयोग उपचार करने के दावे के बिना कोविड-19 के उपचार म सहायक उपाय के रूप म किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न सं. ख का उत्तर नहीं है। इसलिए उपयुक्तानुसार स्पष्ट किया जा चुका है।

(घ) औषध-महानियंत्रक (भारत) से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोविड-19 का इलाज कराने के लिए कोरोनिल जैसी किसी पारंपरिक औषधि हेतु कोई औपचारिक प्रमाणीकरण मांगा है या समीक्षा कारवाई है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रमाणीकरण योजना, जो अंतराष्ट्रीय वाणिज्य के प्रयोजनार्थ अर्थात बाहरी देशों म उत्पादों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण (एनआरए) द्वारा भेषज उत्पाद प्रमाण-पत्र (सीओपीपी) को योजना है, के अनुसार केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने मैसस दिव्य फामसी यूनिट (II), हरिद्वार को उनके उत्पाद दिव्य कोरोनिल टेबलेट के लिए, आयुष मंत्रालय के परामर्श से उनके आवेदन की जांच के बाद भेषज उत्पाद प्रमाण-पत्र (सीओपीपी) जारी किया है।

दावा किया गया था कि उन्होंने कोरोनिल के लिए डब्ल्युएचओ जीएमपी प्रमाणीकरण प्राप्त किया है जो मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार है।

आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष से जुड़े दावों के प्रचार और विज्ञापन को रोकने के लिए एक ऐडवाइजरी जारी की है।

*****